

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

2094
2

// विविध आदेश //

क्रमांक 216 /

दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 13/09/2025

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुश्री कंचन सैनिक प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में लंबित व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-आरसीएसबी-02/2024 अनादि मिश्रा वि० भूमिका पटवारी को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री पन्ना नागेश, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्र० 4567/

दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 13/09/2025

प्रतिलिपि:-

1. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा
2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म०प्र०)।
5. जे०एस०ए०/डी०एस०ए० की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)